कोविड–19

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः प.33(2)गृह–9/2019पार्ट–7 जयपुर, दिनांक : 11/12/2020

समस्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट्स,
राजस्थान।

विषयः शादी–समारोह में बैंड–बाजे के साथ सड़क पर बारात निकालने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोरोना संक्रमण के दौर में मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर गाईडलाईन्स में कई एहतियाती एवं प्रतिबन्धात्मक उपायों का प्रावधान किया गया है। जैसे की इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.33(2)गृह–09/2019पार्ट जयपुर दिनांक 24.06.2020 (जिसकी प्रति संलग्न है) के द्वारा मुख्य सड़कों पर बारात के प्रोसेशन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी प्रकार वर्तमान में सभी जिलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी है एवं 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध लागू किया गया है।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.06.2020 को जारी परिपत्र के क्रम संख्या 01 "मुख्य सड़कों पर बारात के प्रोसेशन पर प्रतिबंध" व दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 5 व्यक्तियों से अधिक के एकत्रित होने पर जारी प्रतिबंध में आंशिक शिथिलता प्रदान करते हुए शादी–समारोह में बैण्ड–बाजे बजाने वालों में 10–15 व्यक्तियों को निम्नांकित प्रावधानों के साथ अनुमत किया जाता हैः–

1. सामाजिक दूरी की पालना करें, अर्थात् बाजा बजाने वाले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी आवश्यक हो।
2. बैण्ड–बाजा बजाने वाले व्यक्तियों में से मुंह वादक यंत्रों को बजाने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य सभी व्यक्ति मुंह पर अनिवार्य रूप से मास्क लगायेंगें।
3. मुंह वादक यंत्रों के उपयोग करने वाले व्यक्ति अपना कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व एवं समाप्त होते ही अपने यंत्रों को यथाशीघ्र सेनेटाईज करेंगें एवं मुंह पर मास्क लगायेंगें।
4. बैण्ड–बाजे वाले व्यक्ति सेनेटाईजर साथ रखेंगें।
5. बैण्ड–बाजे का उपयोग मुख्य सड़कों पर शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में बैण्ड–बाजा विवाह स्थल के मुख्य द्वार से लॉन तक ही अनुमत हो सकेगा। किसी भी स्थिति में डी.जे. नहीं बजाया जायेगा।
6. बैण्ड–बाजे का उपयोग बारात की निकासी एवं तौरण के समय ही किया जा सकेगा।

7. बैण्ड–बाजे का निकासी से तौरण तक का लवाज़मा अधिकतम 50 मीटर से अधिक नहीं होगा।
8. बारातियों एवं बैण्ड–बाजें वालों को इस तरह से खड़ा किया जावे, जिससे आवागमन अवरूद्ध नहीं होवे। अर्थात् सड़क पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं की जावे।
9. बारातियों की संख्या किसी भी स्थिति में 25 व्यक्तियों से अधिक नहीं होगी एवं सामाजिक दूरी रखी जावेगी।
10. विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स की अनुपालना भी सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,
11/12/2020
(एन.एल.मीना)
शासन सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक प. 33(2)गृह–9/2019 पार्ट जयपुर, दिनांक: 24.06.2020

समस्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट्स

परिपत्र

वर्तमान में राज्य कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण, फैलाव एवं रोकथाम के दौर से गुजर रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रतिबन्धात्मक निर्देश समय समय पर जारी किये गये हैं, ताकि लोक–व्यवस्था कायम रह सके एवं मानव जीवन सुरक्षित रहे। इसके लिये **सामाजिक दूरी (Social Distancing) एवं कोविड–19** हेतु जारी किये गये प्रोटॉकोल के तहत अन्य एहतियाती कदमों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

कोरोना वायरस के रोकथाम के कम में जारी किये गये निर्देशों में विवाह समारोह में 50 से अधिक अतिथियों के आमंत्रण पर प्रतिबन्ध है तथा राज्य में सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा भी लगाई गई है।

राज्य में वर्तमान विद्यमान परिस्थितियों में **सामाजिक दूरी (Social Distancing)** व अन्य एहतियाती उपायों की अनुपालनां हेतु एवं परेशानी मुक्त (Hassle Free) आवागमन हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक उपायों की आवश्यकता है:–

1. मुख्य सडकों पर बारात के प्रोसेशन पर प्रतिबंध।
2. मुख्य सडकों पर किसी भी प्रोसेशन के साथ डी.जे. के बजाने पर प्रतिबन्ध।
3. मुख्य सडकों पर सार्वजनिक सभा, जुलूस एवं समारोह के आयोजन पर प्रतिबन्ध।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के मधेनजर सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने जिले के क्षेत्राधिकार में **राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007** की **धारा 44** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर उपरोक्त अंकित गतिविधियों को अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित करें।

उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाये एवं कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही भी अमल में लाई जाये।

यदि अपरिहार्य कारणों से मुख्य सडकों पर प्रोसेशन, सार्वजनिक सभा एवं समारोह के आयोजन आदि किया जाना नितांत आवश्यक हो तो इसके लिये जिला मजिस्ट्रेट की लिखित में पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

उपरोक्तानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी कर कठोरता से अनुपालना करवाई जाना सुनिश्चित किया जाये।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त संभागीय आयुक्त।
5. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
6. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(पी.सी.बेरवाल)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह